

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 523] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 28, 2016/श्रावण 6,1938 No. 523] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 28, 2016/SRAVANA 6, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 744(अ).— केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 8, धारा 9, धारा 11, धारा 12, धारा 15, धारा 27, धारा 51, धारा 64 और धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों को उस तारीख से, जिसको भारत के उस राजपत्र जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

इन प्रारूप नियमों पर आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (परिवहन), (ई-मेल : js.tpt@gov.in) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001 को पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकेंगे :

केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों की बाबत, ऐसे किन्ही आक्षेपों और सुझावों पर, जो किसी व्यक्ति से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, विचार किया जाएगा ;

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (...संशोधन) नियम, 2016 है।

3780 GI/2016 (1)

- (2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये नियम उनके राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - 2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में, -
 - (i) नियम 9 में, उपनियम (2) में "नियम 32 की सारणी की क्रम संख्या 8 में यथानिर्दिष्ट" शब्दों और अंकों के स्थान पर "नियम 32 में सारणी में यथानिर्दिष्ट" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
 - (ii) नियम 14 के उपनियम (1) में खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :
 "(ख) यथास्थिति, परीक्षण या पश्चातवर्ती परीक्षण नियम 32 में प्रत्येक वर्ग को चलाने के लिए और अनुज्ञप्ति

 जारी करने के लिए यथाविनिर्दिष्ट फीस ;";
- (iii) नियम 32 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-
- "32. वह फीस जो इस अध्याय के उपबंध के अधीन प्रभारित की जाएगी, नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट की जाएगी :

परंतु राज्य परीक्षण के लिए उपयोग किए गए स्व:चलन और प्रौद्योगिकी की लागत को पूरा करने के लिए या मूल्यवर्धित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त रकम का उद्गहण कर सकेंगे।

सारणी

क्रम	प्रयोजन	रकम	नियम	धारा
संख्या				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्रत्येक वर्ग के यान के लिए प्ररूप 3 में चलन अनुज्ञप्ति जारी करने के संबंध में	एक सौ पचास रुपये	10	8
2.	यथास्थिति शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति परीक्षण फीस या परीक्षण की पुनरावृत्ति फीस	पचास रुपये		27 (थ)
3.	चलाने की क्षमता के लिए यथास्थिति परीक्षण या परीक्षण की पुनरावृत्ति के लिए (प्रत्येक वर्ग के यान को)	तीन सौ पचास रुपये	14(1) (ख)	9
4.	चलन अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए	दो सौ रुपये	14(1) (ख)	9
5.	अंतरराष्ट्रीय चलन अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिए	एक हजार रुपये	14(2) (ख)	9
6.	चलन अनुज्ञप्ति में यानों के अन्य वर्ग को जोड़ने के लिए	पाँच सौ रुपये	17(2) (घ)	11
7.	परिसंकटमय मालों के संवहन के यान के पृष्ठांकन या प्राधिकरण के नवीकरण के लिए	एक सौ रुपये	9	27 (थ)
8.	चलन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए	दो सौ रुपये	18(1)(क)	15
9.	ऐसी चाल अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए जिसके लिए आवेदन अनुग्रह अवधि के पश्चात् किया गया है	ती सौ रुपये। प्रत्येक वर्ष या उसके भाग के लिए जिसकी गणना अनुग्रह अवधि की समाप्ति की तारीख से की जाएगी एक हजार रुपये की दर से अतिरिक्त फीस		15

10.	चलन में अनुदेश प्रदान करने वाले स्कूल या प्रतिस्थापन को अनुज्ञप्ति जारी करने या उसका नवीकरण करने के लिए	दस हजार रुपये	24 (2)	12
11.	चलन में अनुदेश प्रदान करने वाले स्कूल या प्रतिस्थापन को अनुलिपि अनुज्ञप्ति जारी करने या उसका नवीकरण करने के लिए	पांच हजार रुपये	26 (2)	12
12.	नियम 29 में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध किसी अपील के लिए	पाँच सौ रुपये	30(1)	17
13.	चलन अनुज्ञप्ति में अभिलिखित किन्हीं अन्य विशिष्टियों अर्थात् पता आदि में परिवर्तन के किसी आवेदन के लिए	दो सौ रुपये		27(थ)

टिप्पण – 1. जब भी प्ररूप 7 (स्मार्ट कार्ड किस्म) में चलन अनुज्ञप्ति जारी की जाती है तो दो सौ रुपये की अतिरिक्त फीस उद्गृहीत की जाएगी।

- 2. ऊपर सारणी में क्रम संख्या 1, 2 और 3 में विनिर्दिष्ट फीस यथास्थिति, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या चलन अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए या किसी अन्य वर्ग के यान के पृष्ठांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के समय सामूहिक रुप से संदत्त की जाएगी।";
- (iv) नियम 81 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
- "81. वह फीस जो इस अध्याय के उपबंध के अधीन प्रभारित की जाएगी, नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट की जाएगी :

परंतु राज्य परीक्षण के लिए उपयोग किए गए स्व:चलन और प्रौद्योगिकी की लागत को पूरा करने के लिए या मूल्यवर्धित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त रकम का उद्गहण कर सकेंगे।

सारणी

क्रम	प्रयोजन	रकम	नियम	धारा
संख्या				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	यान के प्रत्येक वर्ग के लिए व्यापार प्रमाणपत्र अनुदत्त करना या नवीकरण करना:		34(1)	
	मोटर साइकिल	तीन सौ रुपये		
	अशक्त यात्री गाडी	तीन सौ रुपये		
	अन्य	पाँच सौ रुपये		
2.	व्यापार प्रमाणपत्रों की अनुलिपि		38(1)	
	मोटर साइकिल	पाँच सौ रुपये		
	अशक्त यात्री गाडी	पाँच सौ रुपये		
	अन्य	एक हजार रुपये		
3.	नियम 46 के अधीन अपील	एक हजार रुपये	46(1)	

4.	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करना या नवीकरण		47(1)	
	और नया रजिस्ट्रीकरण चिन्ह प्रदान करना		52(1)	
			54(1)	
			76(1)और	
			78(1)	
	(क) अशक्त यात्री गाडी	पचास रुपये		
	(ख) मोटरसाइकिल	तीन सौ रुपये		
	(ग) तिपहिया/चौपहिया साइकिल/ हल्के मोटरयान –			
	i) गैर परिवहन			
	ii) परिवहन	छह सौ रुपये		
	(घ) मध्यम माल यान	एक हजार रुपये		
	(ड.) मध्यम यात्री मोटरयान	एक हजार रुपये		
	(च) भारी माल यान	एक हजार रुपये		
	(छ) भारी यात्री माल यान	एक हजार पाँच सौ रुपये		
	(ज) आयातित मोटरयान	एक हजार पाँच सौ रुपये		
	(झ) आयातित मोटरसाइकिल	पांच हजार रुपये		
	(ञ) कोई अन्य मोटरयान जिसका ऊपर वर्णन नहीं किया गया है ।	दो हजार पाँच सौ रुपये		
	टिप्पण: 1. दो हजार रुपये की अतिरिक्त फीस का उद्ग्रहण किया जाएगा यदि जारी किया गया या नवीकृत किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्ररूप 23क में है (स्मार्ट कार्ड किस्म)			
	 रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के नवीकरण के आवेदन में विलंब की दशा में मोटरसाइकिलों के संबंध में प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए तीन सौ रुपये की अतिरिक्त फीस और अन्य गैर परिवहन 			

	यानों के अन्य वर्गों के संबंध में प्रत्येक मास	तीन हजार रुपये	
	या उसके भाग के विलंब के लिए पाँच सौ		
	रुपये की फीस उद्ग्रहीत की जाएगी।	. , ,	
5.	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की अनुकृति जारी करना	क्रम संख्या 4 के सामने वर्णित फीस का आधा	53(2)
6.	स्वामित्व का अंतरण	क्रम संख्या 4 के सामने	55(2)(iii),
		वर्णित फीस का आधा ।	
			55(3),
		अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत	56(2)(क)
		करने में विलंब की दशा में	और
		प्रत्येक मास या उसके भाग	57(1)(क)
		के लिए मोटरसाइकिल की	
		दशा में तीन सौ रुपये और	
		अन्य यानों के लिए प्रत्येक	
		मास या उसके भाग के	
		विलंब के लिए पाँच सौ	
		रुपये की अतिरिक्त फीस	
		उद्ग्रहीत की जाएगी ।	
7.	निवास में परिवर्तन	क्रम संख्या 4 के सामने	59
		वर्णित फीस का आधा	
		 निवास में परिवर्तन के लिए	
		अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत	
		करने में विलंब की दशा में	
		प्रत्येक मास या उसके भाग	
		के लिए मोटरसाइकिल की	
		दशा में तीन सौ रुपये और	
		अन्य यानों के लिए प्रत्येक	
		मास या उसके भाग के	
		विलंब के लिए पाँच सौ	
		रुपये की अतिरिक्त फीस	
		उद्ग्रहीत की जाएगी ।	
8.	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में परिवर्तनों का अभिलेखन	क्रम संख्या 4 के सामने	
		वर्णित फीस का आधा	
9.	अवक्रय/पट्टा/आड़मान करार का पृष्ठांकन –		60
J.	मोटरसाइकिल		
	नाटरसाद्दाकल तिपहिया/चौपहिया/हल्के मोटरयान		
	ातपाह्या/चापाह्या/हल्ल माटरयान मध्यम या भारी यान		
		पाँच सौ रुपये	
	टिप्पण – पट्टा आदि को रद्द करने के लिए या उसके	एक हजार पाँच सौ रुपये	
	पश्चात् नया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के		
	लिए कोई पृथक फीस उद्ग्रहीत नहीं की जाएगी	तीन हजार रुपये	
10.	फिट्नैस प्रमाणपत्र अनुदत्त करने या उसका		62(2)
	नवीकरण करने के लिए किसी यान के परीक्षण का		
	संचालन		
	l .	1	1 <u>l</u>

	मोटरसाइकिल	हस्तचालित : दो सौ रुपये		
	माटरसाइाकल 	हस्तचा।लत : दा सा रुपय		
		स्वचालित : चार सौ रुपये		
	तिपहिया या हल्के मोटरयान या चौपहिया साइकिल	हस्तचालित: चार सौ रुपये		
		स्वचालित : छह सौ रुपये		
	मध्यम या भारी मोटर यान	हस्तचालित: छह सौ रुपये		
		स्वचालित : एक हजार रुपये		
11.	मोटरयानों की फिटनैस के लिए प्रमाणपत्र अनुदत्त	दो सौ रुपये । फिटनैस	62(2)	
	करना या उसका नवीकरण करना	प्रमाणपत्र की समाप्ति के	. ,	
		पश्चात् विलंब के प्रत्येक		
		दिन के लिए पचास रुपये की		
		अतिरिक्त फीस		
12.	प्राधिकार पत्र अनुदत्त करना या नवीकरण करना	पंद्रह हजार रुपये	63(2)(事)	
13.	प्राधिकार पत्र की अनुकृति जारी करना	सात हजार पाँच सौ रुपये	66(2)	
14.	नियम 70 के अधीन अपील	तीन हजार रुपये	71(1)	
15.	पूर्वोक्त क्रम संख्या 1 से 14 के अधीन न आने वाली	दो सौ रुपये		64(त)
	प्रविष्टियों के लिए किसी आवेदन के संबंध में			(" /

टिप्पण.—1 शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि मध्यम यात्री मोटरयान, भारी मालयान, आयातित मोटरयान या कोई अन्य यान जिनका पूर्वोक्त सारणी के क्रम संख्या 4 के सामने वर्णन नहीं किया गया है, के अंतर्गत परिवहन और गैर परिवहन यान दोनों हैं।

2. जब भी किसी स्मार्ट कार्ड किस्म के रुप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाता है तो सिवाय अवक्रय या पट्टा या आड़मान करार के रद् होने के पश्चात् नए रजिस्ट्रीकरण की दशा में दो सौ रुपये की अतिरिक्त फीस प्रभारित की जाएगी "।

[फा. सं. आर टी-11017/12/2013-एम वी एल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण.— मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं.(अ), तारीख द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2016

G.S.R. 744(E).— The following draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred under sections 8, 9, 11, 12, 15, 27, 51, 64 and 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), (E-mail: <u>js.tpt@gov.in</u>), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi 110 001.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

- 1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (_____Amendment) Rules, 2016.
 - (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989,-
 - (i) in rule 9, in sub-rule (2), for the words, letters and figures "as is referred to in Sl.No.8 of the Table to rule 32", the words, letters and figures "as specified in the Table in rule 32" shall be substituted;
 - (ii) in rule 14, in sub-rule (1), for clause (b), the following shall be substituted, namely:-
 - "(b) appropriate fee as specified in rule 32, for the test, or the subsequent test, as the case may be, of competence to drive for each class and for issue of licence;";
 - (iii) for rule 32, the following rule shall be substituted, namely:-
- "32. The fees which shall be charged under the provision of this Chapter shall be specified in the table below:

Provided that, the States may levy additional amounts to cover the cost of automation and technology utilised for conducting the testing or providing value added services.

TABLE

S.No.	Purpose	Amount	Rule	Section
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	In respect of issue of learner's licence in Form 3 for each class of vehicle	One hundred and fifty rupees	10	8
2.	Learner's licence test fee or repeat test fee, as the case may be	Fifty rupees		27(q)
3.	For test, or repeat test, as the case may be, of competence to drive (for each class of vehicle)	Three hundred rupees	14 (1)(b)	9
4.	In respect of issue of a driving licence	Two hundred rupees	14 (1)(b)	9
5.	In respect of issue of International Driving Permit	One thousand rupees	14(2)(b)	9
6.	In respect of addition of another class of vehicle to driving licence	Five hundred rupees	17(1)(d)	11
7.	In respect of endorsement or renewal of authorisation for vehicle carrying hazardous goods	One hundred rupees	9	27(q)
8.	In respect of renewal of driving licence	Two hundred rupees	18(1)(a)	15
9.	In respect of renewal of a driving licence for which application is made after the grace period	Three hundred rupees. Additional fee at the rate of one thousand rupees for delay of each year or part thereof reckoned from the date of expiry of the grace period		15
10.	In respect of issue or renewal of licence to a school or establishment for imparting instructions in driving	Ten thousand rupees	24(2)	12
11.	In respect of issue of duplicate licence to a	Five thousand rupees	26(2)	12

	school or establishment for imparting instructions in driving			
12.	In respect of an appeal against the orders of licensing authority referred to in rule 29	Five hundred rupees	30(1)	17
13.	In respect of any application for change in any other particulars recorded in the driving licence e.g. address etc.	Two hundred rupees		27(q)

- **Note.-** 1. Whenever a driving licence is issued in Form 7 (smart card type), an additional fee of two hundred rupees will be levied.
 - 2. The fees specified at serial numbers 1, 2 and 3 above Table will be paid collectively at the time of submission of application for issue of learner's licence or driving licence or for endorsement of another class of vehicle, as the case may be.";
- (iv) for rule 81, the following shall be substituted, namely:-
- "81. The fees which shall be charged under the provision of this Chapter shall be specified in the Table below:

Provided that, the States may levy additional amounts to cover the cost of automation and technology utilised for conducting the testing or providing value added services.

TABLE

S.No.	Purpose	Amount	Rule	Section
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Grant or renewal of trade certificate in respect of each class of vehicle: Motorcycle Invalid Carriage		34(1)	
	Others	Five hundred rupees		
		Five hundred rupees One thousand rupees		
2.	Duplicate trade certificate: Motorcycle	One mousand rupees	38(1)	
	Invalid Carriage	Three hundred rupees		
	Others	Three hundred rupees		
		Five hundred rupees		
3.	Appeal under rule 46	One thousand rupees	46(1)	
4.	Issue or renewal of certificate of registration and assignment of new registration mark: (a) Invalid Carriage (b) Motor cycle (c) Three wheeler / Quadricycle / Light Motor Vehicle- i) Non transport ii) Transport	Fifty rupees Three hundred rupees	47(1) 52(1) 54(1) 76(1) and 78(1)	
	(d) Medium goods vehicle (e) Medium passenger motor vehicle	Six hundred rupees One thousand rupees		
	(f) Heavy goods vehicle	One thousand rupees One thousand rupees		
		One thousand rupees		

	(g) Heavy passenger motor vehicle		
	(g) Heavy passenger motor venicle	One thousand and five	
	(h) Imported motor vehicle	hundred rupees	
	(i) Imported motor cycle	One thousand and five hundred rupees	
	(j) Any other vehicle not mentioned above	Five thousand rupees	
	Note: 1. Additional fee of two hundred rupees shall be levied if the certificate of registration issued or renewed is in Form 23A (smart card type) 2. In case of delay in applying for renewal of certificate of registration, an additional fee of three hundred rupees for delay of every month or part thereof in respect of motor cycles and five hundred rupees for delay of every month or part thereof in respect of other classes of non-transport vehicles shall be levied.	Two thousand and five hundred rupees Three thousand rupees	
5.	Issue of duplicate certificate of registration	Half of the fee mentioned against Serial No.4	53(2)
7.	Transfer of ownership Change of residence	Half of the fee mentioned against Serial No.4. In case of delay in submission of 'No Objection Certificate', an additional fee of rupees three hundred for delay of each month or part thereof in case of motor cycles and five hundred rupees for each month of delay or part thereof for other vehicles shall be levied. Half of the fee mentioned against Serial No.4. In case of delay in submitting	55(2)(iii), 55(3), 56(2)(a) and 57(1)(a)
		'No Objection Certificate' for change of residence, an additional fee of rupees three hundred for delay of each month or part thereof in case of motor cycles and five hundred rupees for each month of delay or part thereof for other vehicles shall be levied.	
8.	Recording alteration in the certificate of registration	Half of the fee mentioned against Serial No.4	
9.	Endorsing hire purchase/ lease/hypothecation agreement- Motorcycle Three wheeler / quadricycle / light motor vehicle Medium or heavy vehicle Note No separate fee will be levied for cancellation of lease etc. or for issue of fresh RC thereafter.	Five hundred rupees One thousand and five hundred rupees Three thousand rupees	60

10.	Conducting test of a vehicle for grant or renewal of certificate of fitness Motorcycle		62(2)	
	•	Manual: Two hundred rupees		
	Three wheeled or light motor vehicle or quadricycle	Automated: Four hundred rupees		
		Manual: Four hundred rupees		
		Automated: Six hundred rupees		
	Medium or heavy motor vehicle			
		Manual: Six hundred rupees Automated: One thousand		
		rupees		
11.	Grant or renewal of certificate of fitness for	Two hundred rupees.	62(2)	
	motor vehicle	Additional fee of fifty rupees		
		for each day of delay after		
		expiry of certificate of fitness.		
12.	Grant or renewal of letter of authority	Fifteen thousand rupees	63(2)(a)	
13.	Issue of duplicate letter of authority	Seven thousand and five	66(2)	
		hundred rupees		
14.	Appeal under rule 70	Three thousand rupees	71(1)	
15.	In respect of any application not covered under entries at Serial No.1 to 14 above	Two hundred rupees		64(p)

- **Note.-** 1. For the removal of doubts, it is hereby clarified that medium passenger motor vehicles, heavy goods vehicles, imported motor vehicles or any other vehicles not mentioned against Serial No.4 of the above Table include both transport and non-transport vehicles.
 - 2. Wherever the certificate of registration is issued in the form of any smart card type, an additional amount of fee of rupees two hundred shall be charged *except* in the case of issue of fresh certificate of registration after cancellation of hire purchase or lease or hypothecation agreement".

[F. No. RT-11017/12/2013-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note:- The princ	ipal rules	were j	published	in the	Gaz	ette of I	ndia, l	Extrac	ordinar	y, Part-II,	secti	on 3, sub-se	ection (i)
vide notification	number	G.S.R.	590(E),	dated	the 2	2 nd June,	1989	and	lastly	amended	vide	notification	number
G.S.R	(E) dated	l											